

[Dr. Karan Singh]

efficiency even to the private sector. I can assure you that the effort of our Ministry is that both in the field of tourism and in the field of aviation we should develop a dynamic, imaginative and forward looking policy. In this hope, Sir, I commend the Demands for Grants to this honourable House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nambiar almost thought that the whole House, by the reply of the Minister, was moving on a supersonic plane. Let us now land safely and put the Demands to the vote of the House. I shall put all the cut motions together.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the Demands to the vote of the House. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 75 to 78, 126 and 127 relating to the Ministry of Tourism and Civil Aviation."

The motion was adopted.

16 19 hrs.

Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 63 to 67 and 123 relating to the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move,

Demand No. 63—Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 68,07,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation' "

Demand No 64—Director General, Mines Safety

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 44,32,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Director General, Mines Safety'."

Demand No. 65—Labour and Employment

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 12,65,48,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Labour and Employment'."

Demand No. 66—Expenditure on Displaced Persons

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 10,73,54,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Expenditure on Displaced Persons' "

Demand No. 67—Other Revenue Expenditure of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

“That a sum not exceeding Rs. 15,12,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of ‘Other Revenue Expenditure of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation’.”

Demand No. 123—Capital Outlay of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

“That a sum not exceeding Rs. 5,27,28,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969 in respect of ‘Capital Outlay of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation’.”

SHRI K. M. KOUŠHIK (Chanda) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is now an acknowledged fact that the wealth of a country, among other things, includes manpower and it is not confined to the money content of the country. With this background, it is necessary to see that this manpower, which is a synonym for labour, is actually preserved and preserved well and used to the maximum capacity in order to help our industrial development.

In the recent past we had huge loss of manpower in the form of man-days lost due to gherraos, strikes, go-slow tactics, pen down strikes and so on. Unless we examine the causes at the root of these and remedy them, the industrial development of our country is a far cry in the wilderness.

In the days gone by, there was real capitalist exploitation of the labour. The labour were poor and, in fact, they had no collective bargaining capacity, the trade unionism was not very much developed and the result was that the great man,

Karl Marx propounded his theory of socialism and State ownership in order to safeguard the interests of labour. Now even those countries have been relenting on State ownership and they are reverting to market economy and profit motive. The reason for this change in those countries is not far to seek. Today the trade unions are very well developed. The labour have got collective bargaining capacity and there are enough laws to safeguard the interests of labour. The result has been that there is a change from the Karl Marx theory to private ownership to a considerable extent.

But, what is the position in our country? It is true that during the British time there was exploitation of labour by the capitalists and no doubt about it. The labour was getting only that wage for which it had bargained with its employer, and nothing more. That was not even a living wage, not to speak of a fair wage. There were no unions, there were no labour laws, there was no question of any collective bargaining, trade unionism was in the initial stages and therefore, the condition of labour was really deplorable. Therefore, in or about the year 1931, the Royal Commission on Labour was set up to make an enquiry in this regard. On the basis of the recommendations of this Commission certain labour laws were enacted, but those laws actually did not bring about much change and the wages continued to remain inadequate. The result was that strained relations between the employers and the employees continued.

It was only after our independence a very important labour Act, namely, the Minimum wages Act, which guaranteed a minimum wage, in certain industries, was enacted and enforced. Wherever the Minimum Wages Act did not apply, wage boards were set up. The wage boards made recommendations and the Government implemented or enforced the unanimous recommendations of the wage board. Although all those laws were enacted and enforced, even then, there was no provision to cover certain unforeseen contingencies connected with the workers' life. Firstly, there was no provision for his illness. There was no provision for the payment of money to the dependents in case there

[Shri K. M. Koushik]

was premature death of the worker. Similarly, there was no provision against dismissal or removal. These were some of the several difficulties which were experienced in spite of the existence of several labour laws after the achievement of independence.

The Employees State Insurance Scheme provided against some of these calamities. Wherever power is used, or 20 and more labourers are employed if no power is used, this scheme becomes applicable.

[Shri Bal Raj Madhok in the Chair]

This scheme now covers 34.48 lakhs of workers and the scheme provides for medical aid, sickness benefit, maternity benefit and pension to dependents in case of premature death of the workers.

The Provident Funds Act, again, is another innovation in favour of labour. This Act has been applied to 32,181 factories covering 40,50,000 workers and the total contribution by the workers comes to about Rs. 710.10 crores. It also applies to collieries and 1286 collieries and 4,50,000 workers are covered under the provident fund scheme.

In addition the working conditions in factories and mines have been greatly improved because of the rules and regulations under the Mines Act and other Acts. There are several welfare measures like creches, schools, clubs and so many other things. Housing facilities, of course, I have to say with great regret, have not been adequate at all. If anybody has a casual look at the housing facilities afforded, it presents a very pitiable picture. It is most insanitary and dingy. They do not even have accommodation enough for a pair.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : Why do you not make him a deputy minister ?

SHRI K. M. KOUSHIK : Thank you very much. Whenever I need your recommendation, I will come down to you.

AN HON. MEMBER : You are not the Prime Minister.

SHRI K. M. KOUSHIK : The Housing scheme has not done well and I request the hon. Minister to make a note of it and see that better accommodation is provided to these people.

I have given whatever progressive measures have been adopted so far and I will now come to the main point as to why there are so many strikes and gheraos and why so many mandays are lost. What is the reason that in spite of all these progressive measures there are all these strikes and so many mandays are being lost ? That is the thing that is important. That is why I was just outlining what was done and now I am coming to the real point. So, my hon. friend need not be worried about that.

I do not want to go extensively into this but if you look at the statistics on page 55 of the Pocket Book of Labour Statistics that has been supplied to us— I take it as quoted—you will see that from 1951 to 1966 the strikes are increasing and the number of workers involved in strikes is also increasing. The mandays lost increased considerably ; it has gone to six figures and seven figures. This is the position. I have not got the 1967 figures but I am quite sure that the statistics of 1967 will be still worse because really the whole of Bengal was paralysed and every factory had been closed down. Therefore the mandays lost in 1967 must be very much more than in previous years.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : They are nearly the same as for 1966.

SHRI K. M. KOUSHIK : I do not know. I have not got the figures. Thank you very much.

What I submit now is that we have now to see why, in spite of all these progressive measures adopted by the Government, there are so many strikes and gheraos, why so many mandays are lost and why production suffers ?

In my opinion labour is still illiterate and this illiteracy is being taken advantage of by professional politicians and political parties and the trade unionists. These two classes are not interested in the indus-

try itself. So, they have no heart in the industry. They are politically motivated. They have a grip over the labour. This appears to me to be the main reason why we suffer on account of these gheraos, strikes etc. All this is due to lack of education. Therefore, what I want to impress on the hon. Minister is that these people should be given education. By education, I do not mean literacy. The education that I want is the workers' education which should give them an idea of industrial democracy with regard to their rights and liabilities as a worker in a particular concern—Trade unionism. Unless this kind of workers' education is given to them, it is not possible to get them extricated from the grip of these political leaders and trade unionists who are professionals and who have no interest, as I have said already, in the industry itself. The workers should be able to understand what is industrial democracy and they should be able to understand and manage their own unions without any interference either from the Government or from any political parties or political leaders. This is very important.

The second point that I would submit is that the recruitment of personnel in the Labour Department, I am sorry to say, is most unsatisfactory. I should also be excused to say that, in times gone by, people have been caring for the pedigree of dogs but today, unfortunately, our Government does not even care for the pedigree of men.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Don't compare dogs with men. (*Interruption*)

SHRI K. M. Koushik : What happens is this. I have actually seen it myself. These officers who go for inspection stop with the employer, stop in the rest house, enjoy his hospitality and use his conveyances. So, their going for inspection to safeguard the interests of labour is more nominal than real. There must be a certain amount of judicial seclusion when an officer goes for inspection. The officer must be able to do his duty with a free conscience. If a man enjoys the hospitality in the manner said, I am

sure, the inspection will be a farce and will have absolutely no meaning. With the present personnel, I have seen all these things going on. Therefore, some method should be adopted to see that these people do not take recourse to these things.

The personnel should not be kept for a long time at one place. I have seen that they get a vested interest. In order to see that there is no vested interest created, it is very necessary that the people should be transferred after two years and that they should not be kept for a long time at one place. The proper recruitment and transfers after every two years are also very helpful to see whether the labour laws are properly implemented.

The country itself is passing through a very critical period. All sections of the people are passing through a very difficult situation. In such a contingency, the boosting of production is the only means to get over. This, again, means and implies an industrial peace and, without an industrial peace, it is not possible at all to boost production. It is here where the militant trade union leaders do not see eye to eye with persons who have an objective assessment of the position now. Day in and day out, we have the gheraos, we have the strikes, we have the pen-down strikes and we have the go-slow tactics. So, with all this, to expect any production or to boost production would be a dream.

There is no discipline in industry. The managerial staff is subject to all sorts of torture, beginning from confinement and ending with murder. It is only the other day in a labour committee meeting held at Delhi, one of the trade union leaders went on to say that this industrial law is a law of the exploiters and that he is not going to give any respect to it. Not only that. He went further to say that if the High Courts do not behave in a responsible manner, they are going to gherao the High Court. What a contemptuous statement? Then, a Cabinet Minister of West Bengal says that this is class justice.

AN HON. MEMBER : Former Minister.

SHRI K. M. Koushik : I am very sorry.

[Shri K. M. Koushik]

So the other Marxist leader of the West Bengal Cabinet says that for a class society justice is also class justice. If important leaders give vent to such expressions I don't think anything else can happen except disastrous consequences. Be that as it may, the political motives behind all this is writ large. Therefore, I have to say that these unions should not be operated by any of these politically motivated parties and political leaders or even professional trade union leaders. Our workers are illiterate and they need to be educated to see that they manage themselves and they should man the unions themselves. Their political leaders are feeling that by creating chaos they will be able to achieve their political ambitions. They forget one basic fact that unless production is increased the living conditions of Labour cannot increase. They are missing this basic fact. Unless the workers are extricated from the grip of these politicians and other leaders it is not possible for our production in the factories to go up. I therefore submit that this is a matter which ought to be seriously taken notice of and necessary steps taken.

With regard to this problem what I would advocate is a free trade union movement. I have the privilege of quoting Shri V. V. Giri, when he spoke at Jamshedpur in the Labour Relations Institute.

"Referring to Wage Boards for industries he said that organised labour unions would themselves obviate the necessity of such boards and bargain directly with employers for maximum wages possible without creating a position where boards were statutory in character. Such wage boards provided the starting points for disputes rather than bringing about solution of the problem."

Therefore I have the authority of considerable repute in the labour field, that is, our Vice-President himself, and I therefore submit that this must be taken into account.

The last point which I would like to submit is this. The reaction of the Americans about fifteen years back was the same as it is today in our country with regard to the introduction of modernisation and rationalisation. So in America, after the introduction of modernisation and rationalisation,

unemployment has gone down and employment has gone up and our people will feel the same thing in course of time.

In their anxiety to give more and more to labour, the government have lost sight of the employers and consumers.

As a matter of fact they have to look to both sides, the consumer and the employer on the one hand and labour on the other. The employer has nothing at stake and it is the consumer who is hit. He is the beast of burden.

Sir, in the last 10 years, six times the coal prices have been increased on account of the award of wage boards, interim wages, etc. So, who suffers? It is not the employer. Every time the wages go up, the coal price also increases. Who is the beast of burden? It is the consumer. The employers do not lose, the exchequer does not lose a farthing. It is apparent that the Government is trying to get the good wishes of the labour for its own ends, to use them as a lever in the elections because by increasing the coal price, they try to carry the favour of the labour at the cost of the consumer. This is something which cannot appeal to any reasonable man. The Government is there to judge, with the labour on the one side and the employer and the consumer on the other side. You must hold the balance. Well, I ask you whether any job study has been made. You simply increase the wages but do not correlate it with the outturn. After the wage increase is given, the outturn must improve production. Unless the outturn is correlated with wage increase, you can never improve. Have a job study for each job and that outturn should be insisted. Whether the wages are increased by 100 per cent or 200 per cent it does not matter.

Lastly, go-slow tactics and pen-down strikes have become very common. Has the employer any remedy? Can he cut the wages of the labour for that day for these tactics? Therefore, the thing is going only one way. It is a one-way traffic and, therefore, I submit that as there is what is known as the National Labour Relations Act in other countries, a provision to punish unfair trade practices, a similar enactment should be made here to provide against any unfair labour practice, either by

the employer or by the labour in which case these go-slow tactics and pen-down strikes can be controlled.

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to say a few words on the demands of the Labour Ministry. Sir, may I congratulate the Ministry for the excellent work they have done during the year in spite of the recession, in spite of the high cost of living and in spite of very many adverse conditions that are prevailing in the country to-day. Sir, by saying this, may I say that after going through the report of the Ministry, I am surprised with one statement that they have made which I have been speaking about for the past 2-3 years continuously and that is with regard to the statement about the public sector undertakings wherein the number of individual grievances reported has gone up from about 60,000 to about 93,000. Last year also I made a similar remark and if you go through the report for the past three years, one year it was somewhere about 24,000 or 25,000, then it went up to about 40,000, then it went still further up to 55,000. This time it is somewhere about 93,000 out of which it is said about 87,000 or 90,000 grievances were settled. It is a very good achievement, personnel officers have done exceedingly well. They must be complimented. Now what are these grievances about? Last time I have mentioned it and I have got to repeat it again that out of about 56,000 grievances in 1965, more than half of them related to non-implementation of service conditions. Now in these public sector undertakings, why has the worker got to go to the Management and tell them 'This is my service condition. Why don't you implement it?' and still the management does not implement. The management knows what the service conditions are and what should obtain to an employee and hence the question arises whether it is at all necessary that an employee should go on making a complaint of this nature to be redressed by the Labour personnel.

This is an atrocious thing to speak about. That it should have gone up from about 60,000 to about 93,000 is an unpardonable thing. I cannot understand how the management functions. It only means that the management is absolutely

oblivious of the situation in the country and they trample on the rights of the workers with regard to their service conditions. Can anything worse than this occur in any country? And still the Labour Ministry mentions this in the report without apparently taking adequate action in the matter. I would like to know what action they have taken to reduce the number because I find that it is going up year after year.

While bringing this to the notice of Government because these public sector undertakings are directly under the control of Government, I would like to ask what is it that the private sector will not do if they find that the public sector is behaving like this. What action has been taken by the Labour Ministry to reduce this number? This is a matter about which one could dilate very much upon, but I have no desire to say much. But I do hope that the Ministry will take cognisance of this and see that such things do not occur in future.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : There are higher bureaucrats in the public sector undertakings.

DR. MELKOTE : I have made my point with all the vehemence that I can command.

My next point is with regard to the other types of grievances of individuals. Here also, the number is going up. Last time, it was somewhere about 25,000 or 30,000, but this time it has gone up by another 40 to 45 per cent. These are matters on which I would not like to speak much. But I hope the hon. Minister who is very vigilant and the Secretary to the Ministry who is really anxious to see that these things do not occur will take proper steps in this regard. I only hope that they would not stop publishing these figures next year in order to obviate my talking about them but they will give such figures again to us on this aspect of the question.

SHRI HATHI : The fact that they are published shows our sincerity.

DR. MELKOTE : I am glad about it that the hon. Minister thinks this way, but I would submit that criticism should be welcome to them.

[Dr. Melkote]

The previous speaker had waxed eloquent over the question of labour laws and how they were being implemented. There are several things to be borne in mind in this connection. The Labour Ministry is a Ministry which deals with human relations. In a poor country like ours where unemployment is so great, what is it that we cannot speak about? There is not a labour problem that we cannot speak about. But within the limited time at our disposal we have got to restrict our speeches. Therefore, I would like to bring to the notice of the House one more aspect of the question and it is this. In March, 1966, and particularly we in the House had made a demand, and I had put forward the idea that a national commission on labour should be appointed to go into the question of all kinds of labour problems, which has now been set up. That is very important. Ours is a poor country. The public sector undertakings are expanding. Ultimately it is the public sector undertakings that have got to deliver the goods. We want a socialist economy, and, therefore, the amount of investment in the public sector is increasing. But year after year I do expect some kind of information as to the direction in which the country is progressing from the Labour Ministry, because I do not know where else to go to. I have been watching the debate on the Demands of the other Ministries throughout and I do not find a reply to my point. What is our investment annually? Recently, the Hazari report which had been debated upon here had pointed out that the empire of the private sector seemed to be increasing and they were making huge profits; about 173 of these big fish people had control over about 80 per cent of the capital invested in the private sector big industries and they were controlling the medium-sized industries also, and they are allowed to do this. In spite of this, they the industrialists, say that labour is not giving an adequate return and is not producing what the industrialists desire from them. May I know in what country labour is giving this kind of return for the wages that he is getting and for the living conditions that are prevalent in our country, where in spite of everything bad said about him he is giving the profits to the private sector or even the public sector undertakings, and

yet he is being treated in this particular niggardly fashion?

I have to make it clear that it is the duty of the authorities to guarantee the labour certain essential living conditions. Here, in our country, there is no provision of employment; it is not compulsory; Government has not held out that promise. When we speak of unemployment in America or England, what does it mean there? There one finds provision in the constitution for employment which is a compulsion. Government has got to give them employment. In 1965 when I went to England, I asked them about their unemployment problem. They said it was 300,000. I asked what was their employment potential. They said 500,000 jobs were going abegging. What does it mean? It only means this that an employee gets into a job today, finds that there is another better job with a better salary and therefore he gives up his present job to take up the other job the day after tomorrow. It is this sort of unemployment problem of a temporary nature which they have got to face.

Similarly when I was in Australia as a member of a parliamentary delegation, I found the same type of unemployment there. But here the unemployment problem is chronic and we seem to be sleeping over it.

Is it not time when the country is now faced with this trend of unusual unemployment, when there is recession in industrial production that we should all combine to tackle this problem? I do not know who in Government is making an earnest attempt to tackle this problem. I personally feel that it is the Labour Ministry that should be given the maximum powers to deal with this problem. I have been saying for the past ten years that I have been in Parliament, that the Labour Ministry is the most neglected department. Every other Minister thinks that he is master of the situation in regard to labour problems of his Department. It is only when the other Ministries are in difficulties, they come to the Labour Ministry to seek help and not otherwise.

The Government has not realised that the Labour Ministry is a very important department of Government. The Labour

Minister should have sufficient powers to deal with these problems on a comprehensive and overall national basis and the other Ministers have to abide by his decisions. If this is not done, things will continue as they are today.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): The Labour Minister is powerful. Only he does not use his powers.

DR. MELKOTE: Nobody seems to care for him. I know what is happening.

I am offering this criticism for this simple reason that the day has come when we who are working in the labour field, democratically inclined, we who want to increase production, who are also interested in the welfare of our working class and who want to see that we progress along our desired goal, should combine together and act so as not to give scope for those who want to create tension, who want to resort to gheraos and bring down production and oppose all those who want to create divisions among the ranks of labour. Should we not all, —the democratic forces, —combine together in the interest of the country' in the interest of the necessary production going on unimpeded in national interests? At the same time, should not the employers, in the private sector as well as in the public sector create the necessary conditions where the workers can put in their best?

This is a very important point. I would like to appeal to all sides of the House to sit up and think over this problem of what we have to do in this matter to bring about this desired objective.

Even today, we in our country, are not in such bad position as Germany was in 1947. But today Germany is at the top level. Everybody is praising Germany for the way it dealt with its economic problems. The German worker says 'I work for my country'. The manager says 'I work for my country'. Here what is the approach. I was listening to the member who preceded me. I am prepared on behalf of INTUC to say this. We are prepared to give all co-operation to secure greater production and peace in industry. But will we get the necessary encouragement? I know the way the managements

proceed about this matter. For the sake of a small profit, they are prepared to prefer one Union to another. If it is a matter of some additional profit, they will not shirk from playing one union against another. Is this the approach that should be followed?

When we are talking in terms of the nation, in terms of productivity, in terms of progress in the country, should we not give up this kind of attitude?

I come now to the facilities created for workers for training. I would like to ask the Ministry. For the past 20 years, we have had several training programmes in the country. How many of these people who have been trained as craftsmen, for example, have become managers, and in what industries? Let them show one industry where it has been done.

When I was in Switzerland, I asked them who are the trainees. They said the trainees are taken from Vth form and VIth form. Then in their factories or in the Zurich Institute, they are trained and there they gain the necessary knowledge. They said 'These boys are going to be the future managers here in our factory. They go upto Rs. 10,000 or more. How many of our craftsmen who have been trained have given that kind of training and necessary facility? How many of them have been properly educated and properly trained? It is only those people who get trained in the factories properly and adequately that can manage the factory and look after it well. In how many cases have the proper training been given? Can the Minister point out one single instance where the step in this direction has been taken? In my evidence before the welfare committee concerning the social conditions of the workers, I made out this point that the worker's education that is imported should not only be to make those workers efficient to run the unions but to enable them to become managers as well. How long should the poor worker continue as a craftsman? Should he continue like that throughout his life? Has he no further ambition and should it not be the ambition of this Ministry, yourself and myself, and the country, to see that if we want the country to progress, the worker who is trained in the factory should rise to the highest level in the industry?

[Dr. Melkote]

Sir, I can go on talking eloquently like this, but I do not want to take much time of the House. All that I want to submit in this context is that Labour Ministry has got to sit up and revise its whole programme to see that the worker gets the necessary hold in the body politics and rises to the highest level in the industry and in the estimation of his countrymen.

श्री हुकूम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, अभी श्रम मन्त्रालय की मांगों पर बोलते हुए दो माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुभाव रखे हैं। सबसे पहले मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जो कोई भी योजना अथवा पंच-वर्षीय योजना बनाई जाये, उसमें श्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए और अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह दुख की बात है कि एक ओर तो योजना मन्त्री यह योजना बनाते हैं कि अधिक लोगों को काम मिले और दूसरी तरफ कई उद्योगों में, उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम, रेलवेज और कई अन्य बड़े दफतारों और उद्योगों में, बहुत बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। आज सरकार द्वारा विदेशों से स्वा-चालित मशीनें ला कर हजारों लोगों की छंटनी की जा रही है। सरकार का इरादा है कि हिसाब-किताब का काम व्यक्ति या कर्मचारी नहीं, बल्कि मशीनें करें। विदेशों से लाई जाने वाली ये मशीनें बहुत मंहगी हैं। यहां तक कि उन में हमारे देश का बना हुआ कार्बन प्रयुक्त नहीं हो सकता है; उन के लिए कार्बन विदेशों से मंगाना पड़ेगा। मैं इस नीति का सख्त विरोध करता हूं।

हमारे उद्योग में यूनियनों को मान्यता चुनाव के द्वारा मिलनी चाहिए। किसी यूनियन को मान्यता देने के लिए मैं चुनाव का हामी हूँ। मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक उद्योग में एक ही यूनियन होने चाहिए। अगर एक उद्योग में एक ही यूनियन होगी,

तो वह मैनेजमेंट से चाहे किसी प्रकार से सौदेबाजी और समझौता कर सकेगी। अगर उस उद्योग में एक से ज्यादा यूनियनें होंगी, तो दूसरी यूनियन को यह कहने का अवसर मिलेगा कि अन्य यूनियन द्वारा जो समझौता किया गया है, वह ठीक नहीं है।

हम ने देखा कि कई उद्योगों में मान्यता प्राप्त यूनियनें कई बार ऐसा समझौता करती हैं, जो वहां के मजदूरों को स्वीकार नहीं होता है, लेकिन उन मान्यता-प्राप्त यूनियनों का दावा होता है कि मजदूर उन के साथ हैं। जब मजदूर किसी ऐसे प्रश्न पर कारखाने या उद्योग को बन्द कर देते हैं, उस समय उन मान्यता-प्राप्त यूनियनों का दावा झूठा साबित हो जाता है। मेरी मांग है कि यह प्रथा लागू की जाये कि यूनियनों को मान्यता बँलट अथवा चुनाव के द्वारा मिले और हर एक उद्योग में एक से अधिक यूनियनें होनी चाहिए।

मैं यह भी चाहता हूँ कि जिन यूनियनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन के साथ उद्योग-पतियों, मैनेजमेंट और सरकार द्वारा वैसे ही व्यवहार होना चाहिए, जैसा कि मान्यता-प्राप्त यूनियनों के साथ किया जाता है। अगर रजिस्टर्ड यूनियनें मैनेजमेंट या सरकार के साथ पत्र व्यवहार करती हैं, तो उन को मान्यता-प्राप्त यूनियनों की तरह ही जबाब मिलना चाहिए।

हमारे देश में कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहा है। तीन साल के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के वेतन-मानों की घोषणा नहीं की गई है। पता नहीं यह मामला कहाँ अटका हुआ है, किस कमेटी में उलझा हुआ है। सारे देश में कपड़ा उद्योग के मजदूर बड़ी उत्सुकता और आशा से यह देख रहे हैं कि कपड़ा उद्योग का वेज बोर्ड कब घोषित होगा, जिससे उन्हें कुछ लाभ हो सके। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस के बारे में प्रकाश डालें।

17.00 hrs.

कपड़ा उद्योग के अन्दर छंटनी की बहुत चर्चा चल रही है। वीविंग के अन्दर जो व्यक्ति साँचे को चलाता है, उस को चार साँचे चलाने के लिये मजदूर किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कपड़ा उद्योग के अन्दर आज जो संकट आया हुआ है, मैं उस से इन्कार नहीं करता, मैं इस बात को मानता हूँ, हम चार साँचे चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस प्रथा के प्रारम्भ होने से पहले हमारी कुछ शर्तों और सुझावों को मानना होगा। पहली बात तो यह है कि जब चार साँचे चलाने की प्रथा चालू हो तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी प्रकार की मजदूर की छंटनी नहीं होगी-इस प्रकार की गारन्टी कपड़ा उद्योग-पतियों से सरकार का लेना चाहिये। उसके बाद-चार लूम चलाने के बाद किसी मजदूर के ऊपर काम की बाढ़ नहीं होने चाहिये काम का बोझ उन पर नहीं पड़ना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त कर के इस बात की छानबीन कराये कि इन पर काम का बोझ ज्यादा न पड़े।

तीसरी बात-चार साँचे चलाने के बाद उद्योगों के अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे में से मिल के मजदूरों को भी हिस्सा मिलना चाहिये। आज मान लीजिये-किसी कारखाने में इस प्रकार की व्यवस्था करने से चालीस लाख रुपये का मुनाफा होता है तो उस में से मजदूर को भी हिस्सा मिलना चाहिये। अगर हमारी ये तीनों माँगें मान ली जायँ, तो हम चार साँचे चलाने के लिये तैयार हैं। पहले हमारी ये शर्तें मानी जायँ, उसके बाद चार साँचे चलाने की प्रथा को कपड़ा उद्योग में लागू किया जाय।

अनेक उद्योगों के अन्दर कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं, कुछ ऐसे तत्वों की यूनियनों हैं जो इस बात में विश्वास करती हैं कि देश में हमारी माँगें तभी मानी जायँगी, सरकार तभी भुकेगी, जब हड़तालें, तालाबन्दी, तोड़फोड़, मारपीट

की जायगी, घेराव प्रारम्भ करेगे, तभी हमारी बात मानी जायगी। ऐसे जो तत्व हैं, जो यूनियनों ऐसे सिद्धान्त में विश्वास रखती हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा सरकार से निवेदन है कि जब किसी यूनियन को मान्यता देनी हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तब इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाय—कि कहीं ऐसे तत्व तो नहीं हैं जो इस प्रकार की नीति अपनाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की मान्यता या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। ऐसे तत्वों के ऐसे उद्योगों में आने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये-यह सरकार से मेरी माँग है। लेकिन जहाँ भगड़े होते हैं, भगड़ा प्रारम्भ होते ही तत्काल सरकार उसके बारे में ऐक्शन ले और उन पर विचार करें। ऐसी स्थिति पैदा न होने पाये कि मजदूरों में उत्तेजना फैले, जिस के कारण देश के उत्पादन को या किसी उद्योग को क्षति पहुँचे। क्योंकि आज होता क्या है? बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो काफी दिनों तक उलझे रहते हैं और मजदूर को मजदूर होकर आन्दोलन या हड़ताल पर उतरना पड़ता है। इस लिये ऐसी स्थिति पैदा न हो-इस के लिये सरकार रास्ता निकाले।

मेरा यह भी कहना है कि आखिर ये भगड़े क्यों होते हैं जब किसी मजदूर को निकाला जाता है तो वह कोर्ट में जाता है और वहाँ उस को सालों लग जाते हैं। नौकरी से निकाले जाने के कारण उस को बड़ी कठिनाइयों का सामान करना पड़ता है। मान लीजिये कि एक मजदूर 100 रु० महीना पाता है, जब उसे नौकरी से निकाला जाता है, तो साल भर तक वह मुकदमा लड़ेगा, घर बैठकर खायेगा, मुकदमा पर पैसा खर्च करेगा-उसके सामने यह बहुत बड़ा संकट है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जब तक मुकदमा चलता है, तब तक उसको आधी तनख्वाह घर बैठे मिलनी चाहिये, जिससे कि वह पेट भी भरना रहे और मालिकों से कानून द्वारा जूझता भी रहे, उस का सिलसिला भी चलता रहे और बाद में मुकदमा जीत कर वह अपने काम पर जा सके, उस का कोई अपराध नहीं था-इस बात को वह सिद्ध कर सके।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

जहां तक न्याय का सम्बन्ध है, न्याय इतना लम्बा और मंहगा हो गया है, जिसके कारण मजदूर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस में सुधार होना चाहिये। आज जितने भी उद्योगपति हैं, वे यह समझते हैं कि यह जो उद्योग है, वे उस के स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने उस में पूंजी लगाई है। वह समझते हैं कि उस में उन का पैसा लगा है, इस लिये वे बड़े स्वाभिमान के साथ उस के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये तो मजदूर हैं, इन का क्या है, मालिक तो मैं हूँ। मैं सर कार के सामने एक बात साफ कर दूँ कि जिस मालिक ने पैसा लगाया है, वह यह न समझे कि वह ही उस का मालिक है। अगर उस ने पैसा लगाया है तो हम ने उस में अपना पसीना लगाया है, अपने पसीने के बल पर उस उद्योग को खड़ा किया है। हमारे पसीने की उस में पूंजी लगी है, जिस के कारण उस उद्योग को मुनाफा हो रहा है। हमारे पसीने की पूंजी की कीमत भी उतनी ही आंकी जायगी, जितनी उस की पूंजी लगी हुई है—इस पर ध्यान देना चाहिये।

हमारे देश में ऐसे बहुत से उद्योग हैं, जिनके अन्दर मजदूर कल्याण का जो नियम है, वह लागू नहीं है। अगर-बत्ती उद्योग हमारे देश का एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें पांच लाख लोग काम करते हैं। इस उद्योग के अन्दर अधिकांश महिलायें काम करती हैं, जो विधवा महिलायें हैं, गरीब महिलायें हैं, परेशानी के कारण काम करती हैं। न उन के लिये वेज बोर्ड की सुविधा है, न प्राविडेंट फण्ड की सुविधा है और न चिकित्सा की ही कोई व्यवस्था है। किसी प्रकार की भी व्यवस्था वहां उन के लिये नहीं है मिल मालिक उन से डण्डे के बल पर काम कराते हैं करना हो तो करो, नहीं तो घर जाओ। मजदूरी क्या मिलती है... 12 आने, 1 रुपया, सवा रुपया, इस से अधिक उन को कुछ नहीं मिलता है। जब कि वे 12 घंटे काम करते हैं। अब आप बताइये सवा रुपये के अन्दर, 12 आने के अन्दर 12 घंटे

काम करते हैं—इस मंहगाई के जमाने में वे किस प्रकार से अपना गुजारा कर सकते हैं—हम इस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

कोयला उद्योग के अन्दर वेज-बोर्ड जरूर बना है, परन्तु अनुभव यह हुआ है कि जो वेज बोर्ड हम ने बनाया है, सिर्फ 10 परसेन्ट उद्योग पतियों ने उस को माना है, 90 परसेन्ट लोगों ने अभी तक उस को अपने यहां लागू नहीं किया है। क्यों लागू नहीं किया? इस लिये कि वह करना नहीं चाहते, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खराबी है, इस लिये देना नहीं चाहते। मैं सरकार के सामने एक सुझाव देना चाहता हूँ—इन के यहां जितना कोयला निकलता है, उस को ले जाने के लिये इन की तरफ से कोयले की बैगन्ज के लिये मांग आती है। आप उन्हीं व्यक्तियों को बैगन्ज दौजिये, जिन्होंने कोयला वेज बोर्ड को माना है। जिन्होंने नहीं माना है, उन को तब तक बैगन्ज मत दीजिये, जब तक कि वे उस को मान नहीं लेते। यदि यह थोड़ा सा प्रतिबन्ध आप लगा दें, तो मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने उद्योग पति कोयले के हैं, वे सब के सब कोयला वेज बोर्ड को मानेंगे और उन्हें मानना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हमारा कोयला जायेगा तभी पैसा आयेगा, अगर कोयला नहीं गया, तो पैसा कहां से आयेगा। इस लिए वेज बोर्ड की शर्त को मनवाने के लिये सरकार को इस प्रथा का पालन करना चाहिये। इस क्षेत्र के अन्दर काफी लोग ऐसे हैं, जो वेज बोर्ड की सुविधा से बंचित हैं।

इस क्षेत्र में बहुत से लोग अस्थायी रखे जाते हैं, जब चाहते हैं उन को रख लिया जाता है और जब चाहते हैं, उन को भगा देते हैं। रजिस्टर में लिखा जाता है कि इन को 3 रु० दो आने रोज की तनक्वाह दी जाती है, लेकिन उन को दिया जाता है 1 रु० दो आना, दो रुपये बीच में ही गायब हो जाते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश की अनेकों कोयला खानों के उदाहरण दे सकता हूँ। माननीय मन्त्री जी यदि

चाहें तो स्वयं जा कर देख सकते हैं, गुपचुप जाकर, भेष बदल कर जा कर देखिये, उन मजदूरों से पूछिये कि आपको कितना पैसा मिलता है, कितने लिये जाते हैं, कितने पर दस्तखत कराये जाते हैं और कितने पैसे उन को दिये जाते हैं। आपको मालूम होगा कि 3 रु० 3 आने, 3 रुपये चार आने, साढ़े तीन रुपये पर दस्तखत कराये जाते हैं और दिये जाते हैं—1 रु० 2 आने, 1 रु० 4 आने। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूँ कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

श्री दीवान चन्द शर्मा : उन का नाम दें।

श्री हुकम चन्द कल्लबाय : एक नहीं अनेकों सानें हैं, जहाँ ऐसा होता है, आप चले तो पता लगे।

जहाँ तक दण्डकास्थ्य का सवाल है—वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से 12 घंटे काम लिया जाता है तथा वहाँ पर जो अफसर खोग हैं, वे उन से अपने घरों पर भी काम कराते हैं, उन को अफसरों के घरों पर सफाई का काम करना पड़ता है। बड़े दुःख की बात है कि 12 घंटा काम करने के बाद, उन से घर पर भी काम करवाया जाये—यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस के अलावा वे लोग टेम्परेरी हैं, जब चाहें उन को हटा सकते हैं। अगर ऊपर भी किसी ने कहा कि मैं घर पर काम नहीं करूँगा, उस को तुरन्त हटा दिया जाता है। यह बात ठीक नहीं है। अभी तक काफी लोगों को वहाँ पर स्थायी नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी से जब पिछली बार जिक्र किया था, उस के बाद कुछ लोगों को किया गया है, जिसके लिये मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने कुछ किया है लेकिन उस के बाद भी मेरा ऐसा कहना है कि उस में काफी त्रुटियाँ हैं। कुछ तानाशाही अफसर उस क्षेत्र में हैं। उन तानाशाही अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में मुझे जो आश्वासन पिछली बार दिया था उस की

पूति नहीं की गई है। उस ढंग से उस की पूति की जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बरेली के अन्दर भारतीय पशु अनुसंधानशाला है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जाती है। इस में आज भी ऐसी हालत है कि कर्मचारियों को 17-17 साल काम करते हो गये हैं लेकिन उन को अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। उन्हें इस कारण जब हटा दिया जाता है। उस क्षेत्र के जो हमारे श्रम आयुक्त हैं उन्होंने उस का सर्वे किया वहाँ सारी छानबीन की और उन्होंने छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हजारों मजदूर ऐसे हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया और न उन्हें बोनस मिलता है, न प्राविडेंट फंड मिलता है और न ही जो छुट्टी की अथवा चिकित्सा की सुविधाएँ हैं वे और किसी प्रकार की अन्य सहूलियतें उन को नहीं मिलती हैं। अगर उन की रिपोर्ट चाहें तो मैं वह मंत्री महोदय को दे सकता हूँ।

पिछली बार माननीय मंत्री ने इस सदन में बीड़ी मजदूरों का एक बहुत अच्छा विधेयक पेश किया था। यहाँ से आदेश भी हो गया कि सारे देश में उसे लागू होना चाहिए। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केवल मध्यप्रदेश के अलावा और किसी भी प्रान्त ने उसे स्वीकार नहीं किया उसे लागू नहीं किया। मेरा ऐसा कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान देवे, विशेष कर कि आखिर यह लागू क्यों नहीं किया गया? यह आज मध्य प्रदेश में लागू है और वहाँ के बड़ी उद्योग-पतियों को यह डर है कि यहाँ पर इस के लागू होने से हमको बीड़ी मजदूरों को अधिक मेहनताना अदा करना होगा, मजदूरी के लिए उन्हें हमें अधिक पैसा भुगतान करना होगा। बीड़ी उद्योगपति पास के प्रान्त में जाकर बीड़ी बनवाते हैं ताकि उन्हें बीड़ी मजदूरों को कम पैसा देना पड़े क्योंकि इस विधेयक के वहाँ लागू न होने के कारण मजदूरों को दाम कम मिलेंगे। इस

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

कानून को उत्तरप्रदेश में, राजस्थान में व अन्य प्रांतों में लागू करवाइये। प्रांतों में इस कानून के लागू होने से मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि इसका ठीक प्रकार पालन होगा और मजदूरों को मुनासिब मजदूरी मिल सकेगी।

चूँकि मजदूरों को उनकी मजदूरी के ऐवज में मुनासिब पैसे नहीं मिलते हैं और दूसरी आवश्यक सुविधायें उन्हें सुलभ नहीं की जाती हैं इसलिए उनमें एक असन्तोष व्यापता है और वह जो नाना प्रकार के आन्दोलन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है उसको ठीक करने के लिए माननीय मंत्री कुछ दवाव उद्योगपतियों पर डालें जिसके कि कारण यह स्थिति पैदा न होने पाये।

जहाँ तक यह मजदूर यूनियनों को मान्यता देने का प्रश्न है हमारे पांडेय जी कहते थे कि आज सारे भारत में सबसे अधिक मजदूर उनके साथ हैं। हमारी मेम्बरशिप सबसे ज्यादा है। मैं इस बात को कहने को तैयार हूँ कि उनकी मेम्बरशिप की रसीद तो वह काट कर देते हैं और पंसा रसीद का मालिक देते हैं। यह मेम्बरशिप इस प्रकार से बढ़ाई है। लेकिन अगर वार्कई हकीकत का सामना करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके पीछे कितने मजदूर हैं और हमारे संग कितने मजदूर हैं तो चुनाव के मैदान में उतर आइये वहाँ यह चीज साबित हो जायेगी कि मजदूर किसके पीछे हैं। बस मैं इतना कहकर और समय दिये जाने के लिए धन्यवाद देकर अपना स्थान लेता हूँ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौता) : सभापति महोदय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ तक मेरा अध्ययन है मैं यह समझता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं इसमें माननीय मंत्री को कोई दोष नहीं देता बावजूद इसके कि आज हालत ऐसी है जैसे कोई एक कायोस जैसा हो। उसमें भी यह इस बात का प्रयत्न

करते हैं कि औद्योगिक शान्ति रहे और अभी उन्होंने कई बातों को लेकर जो इंडियन लेबर कान्फ़ेस बुलाई थी उसमें कई बातों को हल करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं ने यह देखा कि उनकी कोशिश के बावजूद भी वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है। यह इस बात का प्रतीक है कि दोनों पार्टियों में इतना खिचाव है कि मेरा खयाल है कि जब तक कि कोई विशेष परिवर्तन वायुमंडल में न हो तब तक शायद मिलाप की स्थिति न होगी।

मैं एक चीज यह भी कहना चाहता हूँ कि विचित्र दशा है। दो ही तरीकें हैं हमारे जो आपस के भगड़े हैं उनको तय करने के कि या तो आपस में बातचीत हो, जिसको क्लेक्टिव वारगेनिंग हम कहते हैं वह स्ट्राइक के बाद भी हो सकती है और स्ट्राइक से पहले भी हो सकती है। या हमारा भगड़ा इस प्रकार तय न हो तो वह अदालत में चले जायें। आपस में बैठने से भगड़ा तय नहीं होता। क्लेक्टिव वारगेनिंग एक तरीके से असम्भव हो गयी है और वह इसलिए कि एक मिल में तथा केन्द्रीय स्तर पर 4.5 यूनियंस हैं। अभी हमारे भाई कछवाय जी कह रहे थे कि हम तो वोट में विश्वास करते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहते थे कि भाई समझते का यह हक एक पार्टी को नहीं देना चाहिये कि यह सामूहिक सौदेबाजी करके कर ले और दूसरे जो माइनारिटी में हैं उनको बोलने का अधिकार न हो। इसका मतलब यह है कि एक फैक्टरी में 4-5 यूनियनों हों...

श्री हुकम चन्द कछवाय : गलत बात है।

17.15 hrs

[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री काशी नाथ पाण्डेय : आप उसे ग़लत कह सकते हैं लेकिन मैंने जो उसका अर्थ लगाया है और जो मैं समझता हूँ कि सही है वह मैं हाइस को बतला रहा हूँ।

अदालत में जब हम जाते हैं तो अदालतों में एक अदालत के बाद दूसरी अदालत तक जाने में इतना समय लग जाता है कि उस मशीनरी पर से मजदूरों का विश्वास घटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से अपना काम चलाना चाहिए यह एक विचारणीय वस्तु है। पहली बात तो यह है कि उद्योगों में कई जगह पर यूनियनों को मान्यता देने की जो बात उठती है तो कई पार्टियां यह कहती हैं कि वोट के जरिए उसका फैसला होना चाहिए। अभी मैंने देखा बंगाल में जहां एक मिल में बहुत सी यूनियनें हैं वहां पर घेराव हुआ। मैं घेराव एक दम निन्दा नहीं करना चाहता और वह इसलिए जब मजदूर के लिए अपना भगड़ा तै करने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तब वह जो भी कोई रास्ता उसकी समझ में आयेगा वह उसके ऊपर चलेगा लेकिन घेराव से फायदा नहीं हुआ नुकसान ही हुआ। बंगाल में लाखों मजदूर वहां पर बेकार हुए, फैक्टरियां बंद हुईं। सारे देश में उसके विरुद्ध प्रचार हुआ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मेम्बरशिप की जांच से क्यों घबराते हैं? लेबर कमिशन के सामने यह बात है। उनके सामने हमने इस बात को कहा। मेम्बरशिप की जांच कर जैसे विश्वास हो वह रास्ता अपनाया जाये। ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती अगर उसके मेम्बर न हों और अगर इतना उनको भी अधिकार दे दें कि जो नोन मेम्बर हैं वह भी बोट दें तो हमारे इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो लगभग आर्गेनाइज्ड उद्योग है, उसमें लगभग 1 करोड़ आदमी हैं जिनमें से 40 लाख यूनियन के मेम्बर हैं और 60 लाख किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैं। अगर यूनियन में बोट डालने का नोन मेम्बर को अधिकार हुआ तो वह 60 लाख आदमी 40 लाख आदमियों को खत्म कर देंगे और उस हालत में यह ट्रेड यूनियन मूवमेंट इस देश से कतई खत्म हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप को यूनियन की मेम्बरशिप की जांच की बेसिस पर किस यूनियन को मान्यता

दी जानी चाहिए या कौन यूनियन बहुमत में हैं इसका ऐलान कर देना चाहिए यह भी देखना चाहिए कि आखिर यह-यूनियन क्यों बनती है? ठीक है मजदूरों का हक उन को नहीं मिलता है और उसे प्राप्त करने के लिए कभी कभी भगड़ा करना जरूरी हो जाता है। स्ट्राइक भी कभी होती है। लेकिन एक मौलिक हमारा लक्ष्य यह है कि दोनों दलों में इस तरह की सहमति का एक वातावरण पैदा हो कि जिससे कि उद्योग में शान्ति बनी रहे। मान्यता प्राप्त करने का अधिकार कोड आफ डिसिप्लिन से प्राप्त होता है। कोड आफ डिसिप्लिन द्वारा ही आप बहुमत या मान्यता प्राप्त यूनियन घोषित कर सकते हैं। कुछ पार्टियां इस बेसिस पर, इस सिद्धान्त पर मान्यता तो प्राप्त करना चाहती हैं परन्तु जो उनकी वहां पर ड्यूटीज हैं, जो उनके कर्तव्य हैं उनका वह पालन नहीं करना चाहतीं। आप यह भी देखें कि मान्यता देने के पहले न केवल किसी यूनियन का बहुमत में होना जरूरी है बल्कि उन सिद्धान्तों का पालन करना भी जरूरी है। जिन सिद्धान्तों के अन्तर्गत उन को मान्यता प्रदान की जाती है।

दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई मेलकोटे ने उसको बहुत अच्छे तरीके से रक्खा कि जहां तक पब्लिक सैक्टर का ताल्लुक है 93000 ग्रीवियासेज अर्थात् शिकायतें लोगों की पैदा हुई हैं और उन में करीब 47000 टर्म्स एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस के सम्बन्ध में हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है? पब्लिक सैक्टर में स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट मेरा ल्याल है पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट लागू होता कुछ स्टैंडिंग आर्डर्स बनते और उसके अन्दर टर्म्स एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस डिफाइन हो जाती।

यह देखने की जिम्मेदारी आप की है कि वहां पर स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट की पाबन्दी होती है या नहीं। यह बेसिक चीज है। मेरी यह मांग

[श्री काशीनाथ पाण्डेय]

है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी अन्डरटैकिंग्स हैं वह स्टेट के हवाले न कर के वह सेंटर की लेवर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत रहें, जहां तक इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का ताल्लुक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक ही तरह की अन्डरटैकिंग एक बंगाल में है, एक बिहार में है और एक यू० पी० में है, तीनों जगह कोई चीज कोर्ट में चली गई तो तीन तरह के फंसले हो गये। मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्डर-टैकिंग्स में ही एक-रूपता अथवा यूनिफार्मिटी नहीं है, जो कि होनी बहुत जरूरी है। इस लिये यह जरूरी है कि इस को सेंट्रल स्विफ़र में लाया जाये।

जहां तक रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि संविधान के अन्तर्गत किसी भी एसोसिएशन को बनने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस का लोग बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। कोई भी सात आदमी, दो आदमी फ़ैक्ट्री के और पांच आदमी बाहर के मिल गये और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप्लिकेशन दे दी। कम से कम यह तो करना चाहिये कि जो सात आदमी ऐप्लिकेशन देते हैं वह तो फ़ैक्ट्री के हों, और अगर सब नहीं, तो कम से पांच या छः आदमी तो फ़ैक्ट्री के हों। सारे मेम्बर बाहर के होते हैं, यूनियन बन जाती है और ट्रबल खड़ी हो जाती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस कायम रहे उद्योगों में तो आप को यूनियनों की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। आप चाहे जिस तरह से इस पर सोचें लेकिन आप को इस तरह का स्टेप लेना ही पड़ेगा।

हम ने देखा कि जब ज्यादा मंहगाई होती है तब बड़ी बेचैनी होती है कि चीजों के भाव बढ़ गये। एक बार इंडियन लेबर कांफ़रेंस में फंसला हुआ कि फ़ैक्ट्रियों में फ़ेब्रर प्राइस शाप्स खुलनी चाहियें। फ़ैक्ट्रियों में खुली फ़ेब्रर प्राइस शाप्स और कंज्यूमर्स कोआपरेटिव,

लेकिन उस के बाद गवर्नमेंट की मशीनरी ने चुप्पी साध ली। कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उन में गल्ला भी आता है या नहीं, फ़ेब्रर प्राइस शाप्स चल रही हैं या नहीं, मजदूरों को उस से लाभ होता है या नहीं, क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि जिस तरह का ऐटमास्फ़िअर हमारे देश में है उस में कब दाम ऊपर उठ जायेंगे और कब नीचे गिर जायेंगे। बहुत फूलक्वेशन होता है, कोई स्टैबिलिटी नहीं है, और कोई कंट्रोल हम इस में नहीं देख रहे हैं। इस लिये फ़ेब्रर प्राइस शाप्स खोलने का आप का विचार बहुत उत्तम था, लेकिन उस की पाबन्दी होनी चाहिये।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे स्वतन्त्र पार्टी के मित्र ने श्री गिरि की चर्चा की। मुझे उस से इन्कार नहीं है। गिरि साहब को मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि एक जमाना था जब हम और वह ए० आई० टी० यू० सी० में थे। लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। मैं आप को एक बात बतला दूँ। उन का जो यह कहना है कि क्लेक्टिव वारनेनिंग से भगड़े तय करना चाहिये, वेज बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस से इत्तिफाक नहीं करता। बात यह है कि जो वेज बोर्ड फंसला करता है वह एक ट्री-पार्टीट बाडी है। उस का बेअरमेंट एक जज होता है और पूर्ण बिचार के बाद उस में फंसला होता है। तमाम सूबों में, कंट्री के प्रत्येक प्रदेश में इंडस्ट्री की हालत अलग अलग है। क्लेक्टिव वारनेनिंग एक फ़ैक्ट्री के लिये शुरू हुई। जो भी आंकड़े उपलब्ध होंगे उस फ़ैक्ट्री में उस के आधार पर समझौता करेंगे। इस का मतलब यह होगा कि समझौता अघूरा रहेगा। ऐसी हालत में यदि किसी फ़ैक्ट्री में चार-पांच यूनियनों हैं तो उस में क्लेक्टिव वारनेनिंग की बात सोचना, गिरि साहब का आइडियलिज्म है। मेरा खयाल है कि ऐसी हालत में वह लागू होने वाली नहीं है। वेज

बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं केवल एक बात सुभाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय यह जरूर देखें कि सेंटिमेंट की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कलेक्टिव बारगेनिंग एक तरीका है कि हम अपने भगड़े बठ कर तय करते हैं। यह बात भी होती है कि बहुत से एम्प्लायर जो लोग वेज बोर्डों में आ जाते हैं वह वहाँ पर यह तय कर के जाते हैं कि सबॉटेंज कर देना है, समझौता नहीं होने देना है। इसी तरह से मजदूरों की तरफ से भी कोई लोग चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप एक पैनल लें जो दरअसल कलेक्टिव बारगेनिंग में विश्वास करते हैं उन लोगों को लेकर अगर आप वेज बोर्ड बनायें तो निश्चय ही उस में आप को सफलता प्राप्त होगी।

मैं अक्सर सुनता आ रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश की कोल माइन्स में कोई घटना हो गई और दसियों आदमी मर गये। कभी बिहार में हो गई, कभी किसी अन्य प्रदेश में हो गई। मैं नहीं कहता कि अमुख अमुख घटना हो गई इस लिये एक जांच कमेटी बैठाई जाय। लेकिन जो घटनायें होती हैं, एक घटना के बाद उसी दशा में फिर दूसरी घटना क्यों होती है और उसी रूप में होती है, इस की रोक थाम करने के लिए आप ने क्या कोई उपाय किया है? मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी कमेटी बनायें जो इस बात को देखे कि सेप्टी इन माइन्स के लिये जो रेगुलेशन्स अथवा नियम हैं क्या उन की पाबन्दी माइन्स में होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो उस के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं। बजाय इस के कि आप एक फॅक्ट्री में हुई किसी घटना के लिये एक एन्ववायरी कमेटी बिठला दें, जज को उस का चेअरमैन बना दें। वह तो केवल वहीं के लिये अपनी रिपोर्ट देगा, आप तमाम घटनाओं को बचाव के लिये एक ऐसी कमेटी बनायें जो तमाम माइन्स में जा जा कर एक रिपोर्ट दे ताकि आगे के लिये कोई रास्ता मिल सके।

इंडियन लेबर कांफरेंस में हुई एक बात जो मेरे कान में आई, वह यह कि कुछ लोगों ने एक

फैशन सा बना लिया है कि जब उन को मौका मिलता है तब वह गोरखपुर लेबर के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा खयाल है कि गोरखपुर की हिस्ट्री को जाने बिना किसी फोरम पर उस की चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा। एक जमाना था जब 1940 में उस का उदय हुआ था। जब कहीं फौज जाती थी तब डिफिकल्ट टेरन में रास्ता बनाने के लिये गोरखपुर की लेबर जाती थी। गोरखपुर ईस्टर्न यू० पी० में है जहाँ सब से गरीब लोग बसते हैं। 16,000 आदमी ऐसे हैं जब कहीं लड़ाई होती है तब वह काम करने के लिये जाने हैं। वह काश्मीर और लद्दाख में सड़क बनाने के लिये चले गये थे।

जब मौका मिलता है तभी एक आवाज उठती है कि गोरखपुर की लेबर को खत्म करना चाहिये। वह स्लेव हैं, स्लेव। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो स्लेव हैं क्या कभी उन्होंने आप से शिकायत की है। शिकायत कुछ लीडरों की है जिन्होंने एक फैशन सा बना लिया है, जिन के लिये यह मनोरंजन की वस्तु है। लेकिन ईस्टर्न यू० पी० के लिये यह लाइफ एंड डेथ का प्रश्न है, जहाँ पर 2 करोड़ ६० सालाना उन की मजदूरी के रूप में गांबों में जाता है। आप उस को रोकना चाहते हैं फोर्स कर के। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर रोजी पर अटक होता है वहाँ वह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह बात किसी भी फोरम से आई हो। दो मर्तबा इस के लिये एन्ववायरी कमेटी बैठ चुकी। एक मर्तबा एक आई सी एस जो कि लेबर सेक्रेट्री थे, वह इस के चेअरमैन थे। मेरा खयाल है श्री विष्णु सहाय थे। दूसरी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, जिस के चेअरमैन आबिद अली भाई थे। दोनों कमेटियों ने यह नहीं कहा कि इस सिस्टम को खत्म होना चाहिये। लेकिन उस के बाद भी लोग उस की चर्चा करते रहते हैं। इस तरह से आप देश में डिसइंटेग्रेशन की फोर्स को चालू कर रहे हैं। जो भी इस प्रश्न को पैदा करना चाहते हैं यह देश की और भी ज्यादा बिगड़ेंगे।

[श्री काशी नाथ पाण्डेय]

ग्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राज जो बंगाल के लोग हैं, वह यू० पी० में जा कर काम करते हैं, बिहार के लोग असम में जा कर काम करते हैं, पंजाब के लोग यू० पी० में जा कर काम करते हैं, मद्रास में जा कर काम करते हैं। अगर आप ने यह आवाज उठाई कि फलां जगह के मजदूर वहीं रहें, तो यह हिन्दुस्तान को डिस्ट्रिटेड करना होगा। इस तरह से हिन्दुस्तान की सालिडैरिटी कायम नहीं रह सकती है। मैं लेबर मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि बार बार इस चीज को इन्वाइट करना ठीक नहीं है। वह इस चीज को मौका ही न दें, इस को बन्द करें। इस पर काफी बहस हो चुकी है।

17.29 hrs

[Mr. Speaker in the Chair]

प्राज पब्लिक सेक्टर में क्यों इतनी औद्योगिक अशान्ति है, इस के रूट काज पर आप को जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि एम्प्लायमेंट की जिम्मेदारी बहुत सी मिनिस्ट्रीज की है। लेकिन जब एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तब लेबर मिनिस्ट्री उस के लिये जिम्मेदार ठहराई जाती है। जब किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट में आदमियों को रक्खा जाता है तो सब से बड़ी कुरीति यह है कि पहले तो वह आदमियों को भर लेते हैं, फिर उस के बाद मैन-पावर असेसमेंट कमेटी जो सेंटर की है वह असेस करती है कि इतने आदमी लेने चाहिये, और जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाती है, तब उस प्रोजेक्ट के चार-पांच हजार आदमी सरप्लेस घोषित कर दिये जाते हैं। उस के बाद प्राबलैम आप खुद क्रियेट करें कंट्री के लिए तो यह ठीक नहीं है। तब यह एक चिन्ता का विषय बन जाता है। यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लेबर मिनिस्ट्री इसको भी देखे।

मौलिक तौर पर औद्योगिक शान्ति प्राज इस बात पर निर्भर करती है कि लेबर मैट्रज

से कौन डील करता है। पब्लिक सेंक्टर में जो परसोनल आफिसर रक्खा जाता है उस को रखते वक्त लेबर मिनिस्ट्री से कोई राय नहीं ली जाती है। कोई फौज का रिटायर्ड आदमी होता है तो कोई दूसरा सिविलियन आफिसर होता है और उसको उठा कर परसोनल आफिसर बना दिया जाता है। जिस ने अपने तमाम जीवन में ह्यूमन मैट्रज से कभी डील नहीं किया उसको पच्चीस हजार या दस हजार मजदूरों से डील करने का काम सौंप दिया जाता है। इस तरह से कैसे आप आशा कर सकते हैं कि औद्योगिक शान्ति बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि लेबर मिनिस्ट्री इस चीज को सीरियसली टेक अप करे और देखे कि पब्लिक सेंक्टर ग्रैंड-टेकिंग में जो परसोनल डिपार्टमेंट हैं, उनको ठीक किया जाए और जो नियुक्ति है, वह लेबर मिनिस्ट्री की राय से हो।

17.31 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : Sir, as decided by the Business Advisory Committee to-day just now under your Chairmanship, the Debate on the Demands for Grants of the Ministry of Labour and Rehabilitation will conclude to-day and the Labour Minister may be asked to reply at 6.30 p. m.

AN HON. MEMBER : It was 4 hours.

MR. SPEAKER : Not only this Ministry, some other Departments, also like Social Welfare Department, they want to discuss. They want three hours. So, if you do not cut one or two hours somewhere, we will not reach those Ministries at all and they will be guillotined.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Was anything decided about our dinner to-day ?